

108
पत्रांक 10/न4-12/2002 शि०-108 :
सेकेन्डी, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग, विहार

प्रेषक

श्री एम० दास
विशेष निदेशक शि० शि० 1

सेवा में,

सचिव,
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डी एजुकेशन,
शिक्षा केन्द्र, कम्युनिटी सेन्टर, प्रीत विहार,
विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक 28-2-04

विषय:- राज्य के निजी विद्यालयों को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डी एजुकेशन,
नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निगति करने के
संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए
कहना है कि दिनांक 30.12.2003 को निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र
निगति किए जाने के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए
निर्णय के आलोक में निम्नलिखित विद्यालयों को सी०वी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता
सम्बद्धता/मान्यता इस शर्त के साथ निगति करने का निर्णय लिया गया कि उन्हें
सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार के विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर
कर्मियों के समकक्ष वेतनादि का भुगतान विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को
करना होगा :-

- 111 शताब्दी पब्लिक स्कूल, कटारी हिल रोड, गया
- 112 ए०ए०एम० चिल्ड्रेन्स स्कैडमी, कटिहार
- 113 ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, पहाड़गंज, कैन्ट एरिया, गया
- 114 तौहीद स्कैडमी, तौहीदनगर, पश्चिम पाली, किशनगंज
- 115 न्यू एरा पब्लिक स्कूल, छोटी राजघरती, पीपलपाती रोड, मुर्गा
- 116 डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल, डिहरी, रोहतास
- 117 डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल, शोरघाटी, गया
- 118 एस०आर०डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल, पूर्णिया
- 119 सीताराम डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल, सीतामढ़ी
- 120 कमला मेहरु शिशु विहार उच्च विद्यालय, सदाकत आश्रम, पटना
- 121 डॉ० मैत्रायिणी योगिनी सेकेन्डी स्कूल, मुण्डी, भोजपुर, आरा

121 पी०टी०ओ०

12. स्कूल ऑफ किरटिव लर्निंग, नरगटा, दानापुर, पटना

2- इसकी सूचना संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को दी जा रही है।

3- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन,

[Signature]

सम० दास

विशेष निदेशक माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापक 108 पटना, दिनांक 28-2-04

प्रतिलिपि संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. शैक्षिक गुणावत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कम-से-कम एक बार विद्यालय का निरीक्षण किया जायेगा।

3. निम्नांकित परिस्थितियों में विद्यालय को निर्गत अनापत्ति प्रमाणा-पत्र निरस्त/वापस लेने की कार्रवाई सरकार द्वारा की जा सकती है:-

क। विद्यालय द्वारा विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों को राज्य सरकार के विद्यालय के कर्मियों के समकक्ष वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है अथवा भुगतान करने में अधिक विलम्ब किया जा रहा हो,

ख। अनापत्ति प्रमाणा-पत्र के लिए समपत्ति कागजात एवं अभिलेख जमा नहीं पाये जाने अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न होने पर,

ग। विद्यालय में वित्तीय अनियमितता की जा रही हो अथवा जिस में बर्बादी के लिए राशि की व्यवस्था हो उसका दूसरे मद में व्यय किया जा रहा हो।

घ। विद्यालय ऐसी गतिविधि में संलग्न हो जो राज्य के हित एवं राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमों के विरुद्ध हो एवं ऐसी कार्रवाई की जा रही हो, जिससे समाज के विभिन्न सौभाग्यी के बीच कटुता पैदा हो,

च। सी०बी०एस०ई० मापदंड के अनुसम भवनों में सी०बी०एस०ई० मापदंड के अनुसम छात्रों की संख्या निर्धारित नहीं किए जाने पर।

[Signature] 28-2-04
सम० दास

विशेष निदेशक माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापक 108 पटना, दिनांक 28-2-04

प्रतिलिपि सचिव/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, विहार को सूचना एवं कार्यार्थ प्रेषित।

[Signature] 28-2-04

विशेष निदेशक मा० शि०

ज्ञापक 108 पटना, दिनांक 28-2-04

प्रतिलिपि माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, माध्यमिक शिक्षा, विहार, पटना को सूचना एवं कार्यार्थ प्रेषित।

[Signature] 28-2-04

विशेष निदेशक मा० शि०।